9/3/23 अधिवक्तागण हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आइन्दा दिनांक 31/3/23 को पेश हो।

31/03/23 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 11/04/2023 को पेश होवे

11/4/23 दिनांक 11/4/23 को राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आइन्दा दिनांक 5/5/23 को पेश हो।

5/5/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. विपक्षीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप. नहीं हुआ था। उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने योग्य है अतः पृथक से निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो [illegible] [illegible] हो।

[signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. कादर पुत्र वली जाति मुसलमान निवासी समावली तहसील सेडवा जिला बाडमेर	बनाम	1.फजल पुत्र वलीखां 2. खमीशा पुत्र मनाई 3.वन विभाग रेंज चौहटन जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर, चौहटन जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

दिनांक :4/5/23

राजस्व आवेदन संख्या 388/2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा पटवार क्षेत्र चिचडासर भू.अ.नि. क्षेत्र सेडवा के मौजा समावली के खेत खसरा संख्या 271/25 रकबा 0.4856 हैक्ट. किस्म बा.सौं. के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(समुन्द्र सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/1259-62

दिनांक 4/5/23

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थी कादर पुत्र वली।
3. विप्रार्थीगण फजल पुत्र वली वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 388/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

कादर बनाम फजल वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री मोहनलाल खिलेरी

दिनांक –

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेडवा पटवार क्षेत्र चिचडासर भू.अ.नि. क्षेत्र सेडवा के मौजा समावली के खेत खसरा संख्या 271/25 रकबा 0.4856 हैक्ट. किस्म बा.सो. स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेडवा पटवार क्षेत्र चिचडासर भू.अ.नि. क्षेत्र सेडवा के मौजा समावली के खेत खसरा संख्या 271/25 रकबा 0.4856 हैक्ट. किस्म बा.सो. स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ....को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा